

उत्तर प्रदेश शासन  
 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2  
 संख्या-36/2018/1678/सोलह-2-2018-64(ई)/2017  
 लखनऊ दिनांक: 24 सितम्बर, 2018

**नियुक्ति/विमोचि**

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) 30प्र0 के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, 30प्र0 में प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, 30प्र0 की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता यांत्रिक अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रु0-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु0-5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख अंकित तालिका के सम्म-5 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	ज्येष्ठता क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्वश्री-	स्थायी पता	तैनाती की संस्था
1	2	3	4	5
1.	61	प्रिंस त्यागी पुत्र श्री करनवीर त्यागी	म0न0-58/7, इबन स्टी, गोविन्दपुरी, मोदीनगर, गाजियाबाद, 30प्र0 201201	राजकीय पालीटेक्निक, जटबाडा, जानसाठ, मुजफ्फर नगर
2.	77	ज्योति कुशवाहा पुत्री श्री रमेश प्रसाद	म0न0-37, भाष्कर नगर कालोनी, हसनपुर, मडुआडीह, वाराणसी, 30प्र0 221103	राजकीय पालीटेक्निक, सोनभद्र
3.	97	जान प्रकाश पुत्र श्री शिव कुमार	मकान नं0-94, प्लॉट नं0-40, मडौली नई बस्ती, पोस्ट-मुल्तनपुर, पी0एस0सी0 धाना-मडुवाडीह, वाराणसी, 30प्र0-221108	राजकीय पालीटेक्निक, जमुनिया डीह, हरख बाराबकी
4.	99	प्रदीप कुमार सिंह पुत्र श्री भाई राम प्रसाद	सेक्टर-21, म0न0-1070, इन्दिरा नगर, लखनऊ 226016	राजकीय पालीटेक्निक, मोहम्मदपुर, बहराइच
5.	135	अवनीश कुमार पुत्र श्री नरसी (दिब्यांग कोटा)	ग्राम-गफूरगढी पोस्ट-सिकन्दाबाद, जिला-बुलन्दशहर, 30प्र0-203205	राजकीय पालीटेक्निक, किरठल, छपरा, बागपत
6.	144	विनीत कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार	05, ग्राम-विशानपुरा, पोस्ट-डोल छपरा, जिला-देवरिया, 30प्र0-274509	महाकारुणिक तथागत गौतमबुद्ध राजकीय पालीटेक्निक, सिद्धार्थनगर

- 2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समग्र-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।
- 3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के जिन दिनों के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लें अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 4- संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुस्यू बद्ध निर्धारित की जायेगी।